कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES 10 रु. Rs.10

117

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 निगरानी निग – 1767 – PB 02-16

1. पदमसिंह पिता रूगनाथ आंजना
2. गणपतसिंह पिता रूगनाथ आंजना

व्यवसाय कृषि जाति आंजना निवासीगण ग्राम सुरजाखेडी तेहसील नागदा जिला उज्जैन

......................आवेदकगण्

प्रार्थी अभिभाषक श्री जितेन्द्र जैन
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 23/5/16. 23-5-16
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

विरूद्ध

1. रामचन्द्र पिता रूगनाथ आंजना

नि. ग्राम पिपल्या सारंग तेहसील नागदा जिला उज्जैन

2. शंकरलाल पिता रूगनाथ आंजना
3. भंवरसिंह पिता रूगनाथ आंजना

निवासीगण ग्राम सुरजाखेड़ी तेहसील नागदा जिला उज्जैन ....अंनावेदकगण्

निगरानी अन्तर्गत धारा **50** मध्यप्रदेश भू **राजस्व संहिता** सन् **1959** द्वारा प्रदत्त आदेश न्यायालय अनुविभागीय **अधिकारी** महोदय नागदा तेहसील नागदा जिला उज्जैन के प्रकरण **08/2014-2015** प्रथम अपील मे पारित आदेश दिनांक **26-03-2016** के **प्रत्यावर्तित** आदेश से असन्तुष्ट होकर निगरानी आवेदन पत्र।

56
23/5/16

माननीय महोदय्

आवेदकगण की और से निम्न लिखित निगरानी आवदेन पत्र प्रस्तुत है ::–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदकगण ने अधिनस्थ योग्य न्यायालय अतिरिक्त तेहसीलदार महोदय टप्पा उन्हेल तेहसील नागदा जिला उज्जैन के यहां मृतक रूगनाथ पिता भैराजी आंजना के नाम पर धारित खाते क्रंमाक 253 जिसके सर्वे क्रंमाक 36 रकबा 2.54 हे0, सर्वे क्रंमाक 37 रकबा 1.40 हे0, सर्वे क्रंमाक 38 रकबा 0.97 हे0, सर्वे क्रंमाक 39 रकबा 0.14 हे0 व सर्वे क्रंमाक 44 रकबा 2.32 हे0 कुल किता 5 कुल रकबा 7.37 हे0 स्थित ग्राम सुरजाखेडी तेहसील नागदा जिला उज्जैन पर रजिस्टर्ड वसीयत नामे के आधार पर एक नामान्तरण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो प्रकरण क्रंमाक 14/अ-6/2013-2014 पर संस्थित हुआ। इसी प्रकार अनावेदकगण ने उपरोक्त वर्णित कृषि

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1767-पीबीआर/16 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एच.सी. जैन उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	